## कार्यालय महाधिवक्ता,म.प्र.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर

कमांकः

1934/2016

प्रति.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, विंध्याचल भवन-भोपाल पुलिस अधीक्षक

जिला- ग्वालियर

आपराधिक पुनरीक्षण कं. 164/2015 जगदीश माखीजा वि० म.प्र. शासन द्वारा थाना हुजरात कोतवाली जिला ग्वालियर

उपरोक्त आपराधिक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा सत्र प्रकरण कृमांक 544 / 14 में पारित आदेश दिनांक 544 / 14 जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता पर आरोप विरचित किये गये, के संबंध में प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.01.16 को सुनवाई हेतु नियत होने पर प्रकरण को अंतिम रूप से निराकृत किया नया।

प्रकरण के आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रकरण में पारित आदेश विधि सम्मत होने से प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस.एल.पी. की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

संलग्न :-

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.01.16 की प्रति

Sport 121 an vil

(भानु प्रताप सिंह चौहान) शासकीय अधिवक्ता

